

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक के संबंध में CBIC के दशा-नरिदेश

प्रलिस के लयः

केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुलक बोरड, वस्तु एवं सेवा' कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट

मेन्स के लयः

इनपुट टैक्स क्रेडिट संबधी प्रावधान

चरचा में क्यों?


हाल ही में 'केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुलक बोरड' (CBIC) ने 'वस्तु एवं सेवा' कर के फीलड अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध कयि जाने संबधी दशा-नरिदेश जारी करते हुए कहा क इस तरह का अवरोध 'भौतिक साक्ष्य' के आधार पर होना चाहयि, न क केवल 'संदेह' के आधार पर ।

प्रमुख बदि

■ इनपुट टैक्स क्रेडिट:

- इसका अभपिराय ऐसे कर से है, जसिका भुगतान एक व्यवसाय द्वारा खरीद के समय कयि जाता है और जब वह बकिरी करता है तो वह अपनी कर देयता को कम करने के लयि इसका उपयोग कर सकता है ।
- इसका अरथ है क आउटपुट पर टैक्स का भुगतान करते समय इनपुट पर पहले से चुकाए गए टैक्स को कम कयि जा सकता है और शेष राशि का भुगतान कयि जा सकता है ।
- **अपवाद:** 'कंपोज़िशन स्कीम' के तहत शामिल व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं । व्यक्तगत उपयोग के लयि या छूट प्राप्त सामानों के लयि भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कयि जा सकता है ।
 - 'कंपोज़िशन स्कीम' वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक योजना है, जसि जटलि औपचारकताओं से छुटकारा पाने के लयि चुना जा सकता है । इसे कोई भी करदाता चुन सकता है जसिका टर्नओवर 1.5 करोड रुपए से कम है ।

Understanding Input Credit



■ 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' का दावा करने संबधी प्रावधान:

- CGST (केंद्रीय जीएसटी) नयिम, 2017 के संशोधति नयिम 36 (4) में प्रावधान है क इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब माल आपूरतकिरत्ता प्रत्येक बलि के माध्यम से आपूरतिका वविरण ऑनलाइन अपडेट और अपलोड करता है ।

■ नए दशा-नरिदेश:

- इसने कुछ वशिषिट परसिथितियों को नरिधारति कथिा जसिमें इस तरह के ITC को एक वरशिठ कर अधकिारी द्वारा अवरुद्ध कथिा जा सकता है।
- इनमें बनिा कसिी चालान या कसिी वैध दसुतावेज के करेडिट प्राप्त करना या ऐसे चालान पर खरीदारों द्वारा करेडिट प्राप्त करना शामिल है, जसि पर वकिरेताओं द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं कथिा गया है।
- आयुक्त या उनके द्वारा अधकृत कोई अधकिारी, जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, को मामले के सभी तथ्यों पर वचिार करते हुए अपने वविक के आधार पर ITC को अवरुद्ध करने संबधी नरिणय लेना चाहयि।
 - सरकार ने दसिंबर 2019 में जीएसटी नयिमें में नयिम 86A पेश कथिा था, जसिसे करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक करेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसी को ब्लॉक करने का प्रावधान कथिा गया था, यद्यपि अधकिारी के पास मज़बूत कारण उपलब्ध थे कि आईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ उठाया गया था।
- यह नरिणय 86A के उप-नयिम (1) के तहत शर्तों के अनुसार इनपुट टैक्स करेडिट के कपटपूर्ण लाभ के संबध में उपलब्ध या एकत्र कथिा गए भौतिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहयि।
- इन दशा-नरिदेशों ने टैक्स करेडिट को अवरुद्ध करने पर आयोगों, संयुक्त आयुक्तों और सहायक आयुक्तों के बीच शक्तियों के वभिजन के लयि मौद्रकि सीमा की सफिरशि की है।
 - एक डिपिटी या अससिस्टेंट कमशिनर 1 करोड़ रुपए तक, अतरिकित या ज्वाइंट कमशिनर 1 करोड़ रुपए से ऊपर लेकनि 5 करोड़ रुपए से कम और प्रसिपिल कमशिनर या कमशिनर 5 करोड़ रुपए से ऊपर ITC को ब्लॉक कर सकता है।
- यद कि कोई अधकिारी उचित प्रक्रयिा के तहत आईटीसी को अवरुद्ध करता है, तो करदाता को जीएसटी पोर्टल पर कार्रवाई के साथ-साथ उस अधकिारी के वविरण के बारे में सूचित कथिा जाएगा जसिने इसे अवरुद्ध कथिा है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC):

- यह ववित्त मंत्रालय के तहत राजसव वभिग का एक हसिसा है।
- जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में 'केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) का नाम बदलकर CBIC कर दयिा गया था।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधरिपति करने एवं संग्रह करने से संबधति नीति तैयार करने के कार्र्य में संलग्न है।
 - जीएसटी कानून में शामिल हैं- (i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधनयिम, 2017 (ii) राज्य माल और सेवा कर अधनयिम, 2017 (iii) केंद्रशासति प्रदेश माल एवं सेवा कर अधनयिम, 2017 (iv) एकीकृत माल और सेवा कर अधनयिम, 2017 (v) माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधनयिम, 2017।

स्रोत: द हद्वि